बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

संचिका संख्या–1/स्था॰–12–03/2019

कार्यालय आदेश संख्या.........170........./लो॰से॰आ॰ पटना, दिनांक....16/6..../2022

श्री इमरान–एल–रहमान दाउदी, सहायक (निलंबित) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा बिना अवकाश स्वीकृति के ही दिनांक–28.07.2021 से आयोग कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा Reference matter U/A 317(1) of Indian Constitution in the Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi Under Ref No. 1/2007-Dr. Shiv Balak choudhary, Member, BPSC, And Others Vrs State of Bihar में गवाही देने के निमित्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली जाने हेतु आयोग के कार्यालय आदेश संख्या–165, दिनांक–12.08.2011 द्वारा दिनांक–15.08.2011 को दिल्ली के लिए प्रस्थान करने का आपको आदेश दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक–18.08.2011 को आपको उपस्थित होना था। इसके बावजूद आपके द्वारा कार्यालय में योगदान नहीं दिया गया एवं आप बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं बिना अवकाश स्वीकृति के ही कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं तथा दैनिक समाचार पत्र Times of India दिनांक–26.09.2012 को प्रकाशित सूचना के आलोक में भी आप कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए।

फलतः दिनांक–28.07.2011 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने सहित अन्य गठित आरोपो की जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के तहत कार्यालय आदेश संख्या–91, दिनांक–28.06.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विश्वनाथ ठाकुर, संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री दाउदी के दिनांक–28.07.2011 से लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध 05 वर्षों से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित रहने के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के अनुसार सरकारी सेवा में रहने के पात्र नहीं रह जाने संबंधी पूरक आरोप दिनांक–17.01.2020 के हस्ताक्षर से गठित किया गया है।

2. आयोग कार्यालय के आदेश संख्या–383, दिनांक–12.12.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया।

3. कालान्तर में कार्यालय आदेश संख्या–158, दिनांक–02.09.2020 द्वारा श्री दाउदी के विरूद्ध गठित अरोपों की जांच के लिए श्री अमित कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही संचालन पदाधिकारी, श्री अमित कुमार द्वारा पत्रांक–1665, दिनांक–13.09.2021 द्वारा प्रपत्र –'क' में गठित आरोपों एवं पत्रांक–3224, दिनांक–04.02.2022 द्वारा गठित पूरक आरोप के सन्दर्भ में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री दाउदी के विरूद्ध गठित सभी आरोपों उनका बचाव बयान उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए आरोपवार समीक्षा कर मंतव्य दी गयी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि आरोपित कर्मी विभागीय कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु किसी भी तिथि को संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जबकि हर बार उन्हें विधिवत पत्र के माध्यम से तथा समाचार पत्रों में सूचना के माध्यम से भी उपस्थित होने के लिए निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी ने आरोपित कर्मचारी के उक्त कृत्य उनकी जिम्मेवारी के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाने का उल्लेख करते हुए गठित सभी आरोपों (पूरक आरोप सहित) को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया है।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत

जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री दाउदी से आयोग के पत्र संख्या–3420, दिनांक–17.02.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. आरोपित कर्मी श्री दाउदी द्वारा आयोग के पत्र संख्या–3420, दिनांक–17.02.2022 द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं को अवसाद, ह्रदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हाल ही में कोरोना वायरस तथा डेंगू आदि से पीड़ित हो जाने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि अब नौकरी करने की इच्छा और सेहत नहीं रहा है। उन्होंने उपस्थित होने से असमर्थ होने का उल्लेख करते हुए ऐच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

आरोपित कर्मी श्री दाउदी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपो, समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं आरोपित कर्मी द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोपित कर्मी श्री दाउदी दिनांक–20.09.2010 से 27.07.2011 तक उपार्जित/असाधारण अवकाश में रहने के पश्चात् दिनांक–28.07.2011 से लगातार अभी तक अनुपस्थित रहें हैं। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री दाउदी विभागीय कार्यावाही की सुनवाई के क्रम में भी कभी उपस्थित नहीं हुए तथा डाक के माध्यम में से अभ्यावेदन प्रेषित करते रहें, जिसमें उन्होंने स्वयं एवं पत्नी की बीमारी आदि से परेशान रहने का उल्लेख करते हुए उपस्थित होने से असमर्थता व्यक्त किये हैं।

वर्णित स्थिति में सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री दाउदी के दिनांक–28.07.2011 से लगातार अभी तक अर्थात् लगभग 10 वर्षों से अधिक अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की स्थिति में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 में वर्णित प्रावधानानुसार "सरकारी सेवक के कर्तव्य से 05 वर्ष तक लगातार अनुपस्थिति के बाद, सरकारी नियोजन में नहीं रह जाने" के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007 के नियम–14 की कंडिका–11 में वर्णित शास्ति (दण्ड) "सेवा से बर्खास्तगी, जो समान्यतया सरकार के अधिन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष के आदेश से,

ह०/–

सचिव,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

ज्ञाप संख्या ....967...../लो0 से0 आ0 पटना, दिनांक....16/6...../2022

प्रतिलिपिः– श्री इमरान–एल–रहमान दाउदी, सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना स्थायी पता– 3/331, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना एवं वर्त्तमान पता–c/o- मकसूद हुसैन, मजहर हुसैन House No- 479, हकीमजी का बाड़ा, भालदारपुरा, महात्मा फुले बाजार, नागपुर–440018, महाराष्ट्र को सूचनार्थ प्रेषित। E-mail Id-imrandaudi1972@gmail.com

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा)/विपत्र लिपिक, लेखा शाखा, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. माननीय अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के आप्त सचिव प्रकोष्ठ में माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के प्रकोष्ठ में सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. आई॰टी॰ मैनेजर, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को विभागीय वेबसाईट प्रकाशनार्थ प्रेषित।
7. कार्यालय आदेश पंजी।

16/06/22

सचिव,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

Letter/Sunil Kr.)